न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/133/2024 दायर दिनांकः— 26/06/2024

जीसीएमएस नं0:— 2024/273 निर्णय दिनांकः— 24/12/2024

बउनवान

1. मुकेशचन्द पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी गॉव बालेटा तहसील मालाखेड जिला अलवर।

—————— प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसा पुत्र कल्या जाति यादव निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर
2. सब रजिस्ट्रार महोदय कठूमर।

————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1.कृपादयाल गुर्जर— अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.ब्राहम्मानन्द दीक्षित— अधिवक्ता अप्रार्थी सं01

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1256 रकवा 0.20 हैक्ट0, खसरा नम्बर 1257 रकवा 0.69 हैक्ट0 ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी सायल एवं गैरसायल संख्या 1 मध्य 24.05.2024 को उक्त आराजी का 57/89 हिस्सा यानि कि गैरसायल संख्या 1 की पूर्ण हिस्से को आराजी का बेचान करने का सौदा तय हूआ था जिसमे दिनांक 24.05.2024 को 500 रूपये के स्टाप पेपर पर ईकरारनामा लिखा गया जमीन का सौदा 356100 रूपये में सायल को जरिये ईकरारनामा लिखा पढी की गई। जिसमें 551000 रूपये सायल के द्वारा गैरसायल संख्या 1 को उसी दिन अदा किये और दिनांक 24.06.2024 तक गैरसायल संख्या 1 के द्वारा सायल के हक मे रजिस्ट्री कराने का करार तय हुआ था उक्त आराजी में से 25 गुणा 25 भूमि यानि 625 वर्ग फुट यानि 69.40 वर्ग गज भूमि सायल के द्वारा निर्देश यादव पुत्र राजू जाति अहीर निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर को बेचान करने का सौदा तय हुआ था जिसको

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

लिखा पढी भी इसी इकरारनामा में की गयी थी दिनांक 24.06.2024 को सायल ने गैरसायल संख्या 1 से रजिस्ट्री कराने बाबत कहा तो गैरसायल संख्या 1 ने साफ मना कर दिया गैरसायल संख्या 1 के मन में बदयान्ती आ गयी है और सायल की जमीन को हडपना चाहता है सायल उक्त आराजी पर काविज रहकर उपयोग करने लग गया है। गैरसायल संख्या 1 अपने गलत इन्द्राज की आड में दीगर व्यक्ति को रहन वय करने को उतारू हैं। सायल उक्त आराजी की घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना चाहा जिसके कारण उनका जवाब बन्द किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उसी दिन इकरारनामा दिनांक 24.05.2024 को खसरा संख्या 1256 रकबा 0.20 हैक्टयर, 1257 रकबा 0.69 हैक्टयर बेचान बाबत आपस में क्रेता व विक्रेता के मध्य सौदा में दी गयी राशि 551000 रूपया क्रेतागण ने वापस प्राप्त कर ली गयी और अपने हस्ताक्षर कर दिये है। जिससे अब कोई किसी प्रकार की कोई लेन देन शेष बकाया नहीं है लिखकर इकरारनामा को पीछे के पृष्ट पर स्टाम्प पर लिखा पढी कर समाप्त कर लिया गया है।सायल स्वंय चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने स्टाम्प के पीछे वाले पृष्ट पर इकरारनामा की रकम वापिस कर लिखा पढी को सफेद कागज लगा कर फोटो काफी करा कर इकतरफा स्टे गलत तरीके से ले लिया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी कथन झूठे एवं मनगढन्त है तथ्य छुपाकर पेश किया गया है। जिसके कारण केस व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रर्थीगण को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बडौदाकान इकरानामा नकल रजिस्ट्रेशन की रसीद की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। **सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –**

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

1. प्रथम दृष्टा केसः– प्रार्थी द्वारा विवादीत आराजीयात के बेचान का इकरारनामा किया गया है जिसे अप्रार्थी संख्या– 1 द्वारा स्वीकार किया गया है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में अप्रार्थी संख्या–1 ही खातेदार काश्तकार के रूप में संयोजित है अतः सायल प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।
2. सुविधा का संतुलनः– प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में संयोजित नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह भी बताया गया है कि इकरार नामें की रकम आपसी सहमति से वापिस कर दी गयी है जिसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी साबित करने मे असफल रहा है।
3. ना पूर्ति होने वाली क्षतिः– प्रार्थी केवल इकरार नामें के आधार पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्दर कराने का अनुतोष चाहता है जिससे ना पूर्ति होने वाली क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतित होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित ना होने के कारण खारिज कियें जाने योग्य प्रतित होता है। सायल अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायल का प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 26.06.2024 निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०